| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24/07/24 | पत्रावली पेश। अधि. वादी उप.। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/07/24 को पेश हो<br>Pri/ [illegible] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर | |
| 26/07/24 | पत्रावली पेश। अधि. वादी उप.। एक-पक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29/07/24 को पेश हो<br>Pri/ [illegible] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर | |
| 29/07/24 | पत्रावली पेश। बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि. वादी-" गाँव Mandore II में वादी एवं प्रतिवादीगण की 78-18 बीघा भूमि है। संयुक्त खातेदारी की बापी पट्टा सं. 139 (दिनांक 01/05/43) में अन्य संयुक्त recorded खातेदारान के साथ गिरधारी खोले भगवान रो लालू बेटो पुरखा रो मांगियो बेटो जेठा रो बहिस्सा बराबर खातेदार column में नाम दर्ज है पट्टा सं. 191 में अन्य संयुक्त खातेदारों के साथ मांगीयो बेटो जेठा रो दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से वादी के पिता का नाम revenue record में दर्ज नहीं हुआ विवादित भूमि में वादी, प्रति सं. 01,02 का 43 हि. है। खसरा गिरदावरी संवत 2012-15 में column 06 में, column no. 24 में वादी के पिता का नाम दर्ज है, गिरदावरी संवत 2014-17 में column no. 32 (विशेष विवरण) में काश्त मांगीलाल दर्ज है गिरदावरी संवत 2018 के column no. 16 में काश्त मांगीलाल दर्ज है गिरदावरी संवत 2019-22 में column no. 16 24 में मांगीलाल दर्ज है | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा |
|---|---|---|
| | बिगोड़ी रसीदें पेश है। अतः वादी को प्रति. के साथ 1/3 हि. का खातेदार घोषित किया जावे।" | |
| | प्रति. सं. 1/1 ता 1/5 द्वारा इकबाली जवाब पेश है। | |
| | न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा राजस्व वाद 238/11 में हुए निर्णय दिनांक 30/01/19 की copy पेश की गई। जिसके अनुसार- कुल रकबा 78-18 बीघा में से वादीगण का 1/3 हि. (लालाराम के का. मु.) का खातेदार घोषित किया जाता है। | |
| | अधि. वादी द्वारा कुछ citations पेश किये गये। | |
| | पट्टे संबंधी objections पर अधि. वादी द्वारा निवेदन किया गया कि मा. BoR द्वारा पट्टे को as evidence ग्राह्य के निर्देश दिये गये हैं एवं हस्तलिपि जाँच report पेश है। साथ ही Schedule III of RTA के अनुसार धारा 88 के तहत वाद लाने हेतु कोई Limitation नहीं है। | |
| | **तनकीवार निर्णयः** | |
| | **तनकी सं. 01:** आया विवादित भूमि में वादी प्रति. सं. 01, 02 के साथ 1/3 हि. का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है? | |
| | साबित करने के लिए वादी द्वारा बापी पट्टा सं. 191, 139/2 पेश किये गये, जिनमें वादी के पिता का नाम अंकित है। न्यायालय सहायक कलक्टर निर्णय पेश किया गया है, जिसमें लाला व गिरधारी के वारिसान का 1/3 हि. तय किया गया है। प्रति. सं. 1/1 ता 1/5 द्वारा जवाब में उपरोक्त | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

को admit किया गया है (Ex4)

**न्यायालय विवेचनः** बापी पट्टा सं. 191, ख.सं. 384, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, ~~346, 347, 354,~~ 380, 381, 382, 383, 384. (कुल खसरा = 23 (2 above 3), रकबा = 46-07 बीघा) में कुल 09 हिस्से हैं। 09 हिस्सों में से 01 हि. अन्य के नाम व 1/2 हि. हिस्सा, जो 1/2 हि. मांगो बेटो जेठु री, कालो बेटो पुरखा रो, बेटो भगवान रो ब. हि. बराबर दर्ज है। अर्थात मांगो बेटो जेठु रो 1/54 हि. बनता है। ख. सं. 349, 351, 353 में कुल 02 हि. हैं। 01 हि. गिरदारी खोळे भगवान रे, लालू बेटा पुरखा रो, मांगिया बेटो जेठा रो ब. हि. बराबर दर्ज है। अर्थात मांगिया बेटो जेठा रो का 1/6 हि. बनता है।

(Ex3)

बापी पट्टा सं. 139, ख.सं. 358, 359, 360, 361, 363, 363/1, 363/2, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 386/1, 386/2 (कुल खसरा = 28, रकबा = 46-07 बीघा) में कुल 09 हि. हैं। 09 हि. में से ~~01 हि.~~ 2 मांगी बेटो जेठु रो अंकित नहीं है। ख. सं. 345, 346, 350, 352, 346, 348, 354, 349, 351, 353 (कुल खसरा = 10, रकबा = 33-17 बीघा) में कुल 02 हि. हैं। 01 हि. अन्य खातेदारान के नाम व 01 हि. में गिरधारी खोले भगवान रे, लालू बेटो पुरखा रो, मांगियो बेटो जेठा रो ब. हि. बराबर दर्ज है। अर्थात मांगियो बेटो जेठा रो 1/6 हि. बनता है। किंतु न्यायालय द्वारा दिनांक 18/04/13 को मंगवाई गई certified copy of Bapi Patta 139 में

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म के तामील में |
|---|---|---|
| | ख. सं. 345, 346, 350, 352, 346, 348, 354, 349, 351, 353 संबंधी entry नहीं है। मुताबिक निर्णय मा. राजस्व मंडल अजमेर, दिनांक 29/05/14- "विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित करते समय दस्तावेज की वैधानिकता पर विचार किया जावेगा।" Baki Patta no. 139 की certified copy एवं वादी द्वारा प्रस्तुत पट्टा का मिलान किया गया। मिलान में पाया गया कि ख. सं. 349 लिखने का तरीका भिन्न है, कुल ख. सं. के नीचे Extra lines (अ-ब, 38-8) लिखा गया है। भिन्नता की स्थिति में न्यायालय certified copy को वैधानिक मानता है। अतः संबंधित बाकी पट्टा के आधार पर खातेदारी दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।<br>न्यायालय सहायक कलक्टर का निर्णय दिनांक 30/01/19, मा. RAA द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20/07/21 के द्वारा अपास्त कर दिया गया है।<br>उपरोक्त findings के आधार पर तनकी सं.01 वादी के विरुद्ध तय की जाती है।<br><u>तनकी सं.02:</u> आया विवादित भूमि पर वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?<br><u>न्यायालय मतः</u><br>चूंकि धारा 188 के तहत खातेदार को ही अनुतोष दिया जा सकता है। अतः | |

| नम्बर व तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | तनकी सं. 02 वादी के विरुद्ध तय की जाती है। | |

तनकी सं. 03: आया विवादित भूमि पर वादी का खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त नहीं रहा है?

उक्त तनकी सिद्ध करने का भार प्रति. सं. 02 पर था, किंतु प्रति. सं. 02 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके। अतः तनकी सं. 03 प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 04: आया वादी द्वारा समस्त आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाए जाने से वाद चलने योग्य नहीं है?

न्यायालय विवेचन: प्रतिवादी द्वारा इसके संबंध में किसी प्रकार की pleadings का अभाव है। अतः तनकी सं. 04 प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। तद्-अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

Priyanka
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सत्यमेव जयते जोधपुर